निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 40 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग देहरादून,** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग देहरादून, के माह 07/2017 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अनिल कुमार शर्मा, श्री राजेश कुमार सिन्हा, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी,एवं श्री अंकित पांडे, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 13/8/2018 से 24/08/2018 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव लेखापरीक्षा अधिकारी के अंशकालिक पर्यवेय क्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

(ii) **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखा परीक्षा सर्व श्री अनिल कुमार शर्मा एवं श्री राजेश कुमार सिन्हा, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 18/07/2017 से 28/07/2017 तक संपादित की गई थी एवं उक्त लेखा परीक्षा में माह 06/2016 से 06/2017 तक के लेखा अभिलेखों की सामान्यतःजांच की गई थी।

(iii) (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग देहरादून,** के अंतर्गत विधान सभा राजपुर, विधान सभा सहसपुर एवं विधान सभा मसूरी के अंतर्गत आने वाले मार्गो का निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण का कार्य

(iv) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	मुख्य लेखा शीर्ष	आवंटन	व्यय
2015-16	-	5139.73	4999.82
2016-17	-	4630.66	4630.40
2017-18	-	5208.35	5110.40
2018-19(7/2018)		2115.11	1908.83

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
		Nil			

(v) इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "A" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1.प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,लोक निर्माण विभाग,उत्तराखण्ड, देहरादून

1.क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता स्तर-1,लोक निर्माण विभाग,देहरादून

1.अधीक्षण अभियन्ता, 9 वां वृत लोक निर्माण विभाग, देहरादून

1. अधिशासी अभियन्ता,प्रांतीय खण्ड,लोक निर्माण विभाग,देहरादून

(vi) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग देहरादून,** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग देहरादून,** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 08/2017 को विस्तृत जांच हेतु एवं जनपद देहरादून में विधान सभा मसूरी में अंडर ग्राउंड कार पार्किंग के निर्माण कार्य का विस्तृत विश्लेषण हेतु चयनित किया गया।

(vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक ..... से ..... का निरीक्षण किया गया।

खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2017 तथा 03/2018 तक की गई।

फार्म 51: माह 06/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम Rs.4096618.00

भाग द्वितीय Rs.5941836.46

खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 07/2018के अन्त में

(क)	प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम	` 12083433.00
(ख)	सामग्री क्रय	Nil
(ग)	नगद परिशोधन	Nil
(घ)	निक्षेप	` 151949343.00
(ङ)	भण्डार	` -3176233.00

भाग-II (**ब)**

प्रस्तरः-1 कार्य पर `184.39 लाख व्यय होने एवं निर्माण में देरी के कारण नागरिकों को लाभ नहीं मिलना।

उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या 6062/ **III(2)/15 -39** (प्रा0आ0)/ 2015 दिनांक 24 सितम्बर 2015 के द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी के अन्तर्गत पीपीसीएल –सरोना मोटर मार्ग किमी 7.00 से किमी 13.00 यथा कुल 07.00 किलोमीटर में सुधारीकरण का कार्य हेतु `**373.58** लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उपरोक्त राशि एवं लम्बाई के लिए ही मुख्य अभियंता (स्तर-I), क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा प्राविधिकी स्वीकृति 16 मार्च 2016 को प्रदान की गयी थी।

इस कार्य के सम्पादन के लिए अधीक्षण अभियंता, 9वां वृत, देहरादून के द्वारा नवम्बर 2015 में अखबार के माध्यम से निविदा आमंत्रित की गयी थी। निविदा परामर्श टिप्पणी के अनुसार **technical bid** में सफल **M/s MNR Construction Company, Dehradun** को निविदा `**359.04** लाख में प्रदान की गयी थी। अधीक्षण अभियन्ता स्तर से गठित अनुबन्ध संख्या 03/**SE-IX /2016-17** दिनांक 30 अप्रैल 2016 के अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की तिथि क्रमश 30 अप्रैल 2016 और 29 अक्तूबर 2016 थी। इस प्रकार, अनुबंध के अनुसार कार्य 06 महीने में पूर्ण किया जाना था। वर्तमान में कार्य पर मार्च 2018 तक `**184.39** लाख की राशि (07th **Running bill / voucher No**. 01 दिनांक 07 मार्च 2018) **Bill /** के अनुसार) व्यय हो चुकी है।

कार्य सम्पादन से संबन्धित अभिलेखो के जांच में यह पाया गया कि कार्य पूर्ण होने के निर्धारित तिथि के समाप्ति के 17 महीनो के बाद भी मार्च 2018 तक कार्य अपूर्ण था जबकि कार्य पूर्ण की अनुबंधित अवधि 06 माह थी और कार्य 29 अक्तूबर 2016 तक पूर्ण होना था। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अक्तूबर 2016 में पूर्ण किए जाने वाले इस कार्य के लिए सात **RA** बिल का भुगतान किया जा चुका है जिसमे प्रथम बिल का भुगतान अप्रैल 2017 में किया गया था जबकि सातवे बिल का भुगतान मार्च 2018 में हुआ था। पुनः जी-1 को छोड़कर जी-2 एवं जी-3 पर 2166 घनमीटर एवं 2166 घनमीटर के सापेक्ष 1328.66 घनमीटर एवं 795.87 घनमीटर में कार्य कराया गया था जबकि सातवे बिल तक **Bituminous** कार्य प्रारम्भ भी नहीं हुआ था। कार्य पूर्ण होने में 17 माह के देरी के बाद भी समय-वृद्धि प्रदान नहीं किया गया था।

इस कार्य में एक तथ्य यह भी संज्ञान में आया कि **जी-1**, **जी-2 एवं जी-3 के कार्य पर प्रयुक्त सामाग्री के मात्रा से कम की रॉयल्टी की कटौती की गयी थी।** जी-1, जी-2 एवं जी-3 जैसे उप-कार्यो में 3119 घनमीटर, 1328.66 घनमीटर एवं 795.87 घनमीटर में कार्य कराया गया था। **Royalty Statement** से ज्ञात होता है कि जी-1, जी-2 एवं जी-3 पर प्रयुक्त सामाग्री कुल 5243.53 घनमीटर की रायल्टी की कटौती की गयी थी जबकि 6292.23 घनमीटर **ballast** के लिए रॉयल्टी की कटौती की जानी चाहिए थी। इस प्रकार, 1048.70 घनमीटर **ballast** के लिए रॉयल्टी की कटौती नहीं की गयी थी।

उपरोक्त को इंगित किए जाने पर, खंड द्वारा कार्य प्रगति पर है और **PC** स्तर तक कार्य पूर्ण हो चुका है और आतिथि तक मात्रा 10 प्रतिशत कार्य ही अवशेष है। साथ ही, यह भी उल्लेख किया गया था कि ठेकेदार को भुगतान नहीं होने तथा मौसम प्रतिकूल होने के कारण कार्य की प्रगति धीमी थी। रॉयल्टी के संबंध में बताया गया कि त्रुटिवश गलत गणना के कारण कम रॉयल्टी की कटौती की गयी थी। जिस से की आगे के देयकों से कटौती कर ली जायेगी।

खंड का उत्तर तथ्यो से परे है क्योंकि अधतन बिल के अनुसार ना ही जी-2 एवं जी-3 का कार्य पूर्ण हुआ है। पुनः खंड का यह कहना कि **PC** स्तर तक कार्य पूर्ण हो चुका है, पूर्णत: गलत है क्योंकि अधतन बिल के अनुसार **PC** का कार्य प्रारम्भ भी नहीं हुआ था। इस प्रकार, कार्य पूर्ण होने में देरी के कारण मार्च 2018 तक व्यय होने वाली `**184.39** लाख की राशि का लाभ स्थानीय जनता को नहीं प्राप्त हो सका था। (07th **Running bill / voucher No**. 01 दिनांक 07 मार्च 2018) **Bill /** के अनुसार) व्यय हो चुकी है जबकि प्रतिवेदनानुसार कार्य जनहित काफी आवश्यक था।

भाग-II (ब)

प्रस्तर:-2 टीएचडीसी को `39.16 लाख के अधिक भुगतान के साथ `17.53 लाख की राशि का व्ययवर्तन।

कार्यालय प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र दिनांक 14 मार्च 2015 से ज्ञात होता है कि विभिन्न शासनादेश (अप्रैल 2014, जुलाई 2014 एव मार्च 2015) के द्वारा परियोजना संरचना/परीक्षण/गुणवत्ता कंसल्टेंसी भुगतान हेतु `**4.00** करोड़ की राशि प्रावधानित की गयी थी। इस राशि में से `**97.72** लाख की राशि मसूरी स्थित अंडर ग्राउंड कार पार्किंग के कार्य के कंसल्टेंसी / डीपीआर संबन्धित भुगतान हेतु प्रावधानित थी। उपरोक्त पत्र द्वारा आवंटन में निम्नलिखित शर्त थे।

1. उत्तराखंड अधियापति नियमावली-2008 का पालन किया जाए।
2. आवंटित धनराशि का व्यय उन्ही कंसल्टेंसी कार्य पर की जाएगी जिसके लिए राशि आवंटित है। यह राशि अन्य योजना पर नहीं व्यय की जाएगी।
3. संबन्धित अधिशासी अभियन्ता प्रस्तावित कंसल्टेंसी कार्यो की (सर्वेक्षण, **geological** रिपोर्ट, **feasibility** रिपोर्ट, डिज़ाइन, डीपीआर तैयार करने) रिपोर्ट चरणबद्ध एवं निर्धारित समयांतर्गत प्राप्त करते हुए प्राप्त रिपोर्ट का सत्यापन, जांच एवं परीक्षणोपरांत सक्षम स्तर से कराते हुए आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सुनिश्चित किया जाएगा।

लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड शासन एवं टिहरी हाइड्रो डेवलपमेण्ट कोरपोरेशन (टीएचडीसी) के मध्य **project** के लिए वांछित **Technical Services** प्राप्त करने हेतु **Memorandum of understanding** (एमओयू) पर हस्ताक्षर (28 जून 2014) किए गए थे। **MoU** में उल्लेखित **Scope of Services** के अनुसार टीएचडीसी द्वारा निम्नलिखित **design and engineering services** लोक निर्माण विभाग को प्रदान करनी थी।

1. **Topographic survey of the area.**
2. **Preparations of geological and structural maps**
3. **Collection of disturbed / undisturbed rock samples using exploratory core drilling.**
4. **Laboratory analysis of the samples.**
5. **Study of rock mass behavior including 2D and 3D analysis of the stresses.**
6. **Preparation of detailed project report including Bill of quantities, drawing, technical specification and other document.**

मसूरी स्थित अंडर ग्राउंड कार पार्किंग के लिए के लिए **THDC** से उपरोक्त सेवा प्राप्त की जानी थी जिसकी लागत `**97.74** लाख थी जिसमे अधिकतम `**3.00** लाख की राशि कम्प्युटर, प्रिंटर, यूपीएस के क्रय के लिए प्रावधानित थी।

संबन्धित संचिका से ज्ञात हुआ कि इस कार्य के लिए टीएचडीसी को `**77.28** लाख की राशि भुगतान की गयी थी जिसमे `**2.39** लाख की राशि कम्प्युटर, प्रिंटर, एवं यूपीएस क्रय करने के लिए विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी थी। पुनः अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष), लोक निर्माण विभाग, देहरादून को प्रेषित पत्र दिनांक 20 अप्रैल 2018 से ज्ञात होता है कि खंड द्वारा इस कार्य हेतु आवंटित राशि `**97.70** लाख में से `94.81 लाख व्यय की जा चुकी है जबकि केवल `**77.28** लाख की राशि ही **THDC** को भुगतान की गयी थी। इस प्रकार, शेष `**17.53** लाख की राशि का व्ययवर्तन अन्य कार्य पर किया गया था। अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून के उपरोक्त पत्र से यह ज्ञात होता है कि एमओयू में वर्णित मद संख्या 3, 4 एवं 5 पर कार्य किया गया था जिसकी प्राक्कलित लागत `**38.12** लाख थी। मद संख्या-6 के सापेक्ष **short study** कर स्थल को अनुपयुक्त पाया गया था। इसके साथ ही, खंडीय अधिकारी ने अपने अवलोकन में उल्लेख किया है कि **THDC** द्वारा उपलब्ध कराई गयी **Pre-feasibility** रिपोर्ट मूलतः केवल **concept** रिपोर्ट है और भू-गर्भीय परीक्षण में भी स्थल को अनुपयुक्त पाया गया था। एमओयू के अधीन करवाए गए **study** से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सका था। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि इस स्थल को भू-गर्भीय परीक्षण के आधार पर अनुपयुक्त पाया गया था जिसका परीक्षण विभाग में उपलब्ध भू-वैज्ञानिक से करवाया जा सकता था जो समय-समय पर स्थल के बारे में उचित सुझाव उपलब्ध कराते है। इस प्रकार, `**39.16** लाख के अधिक भुगतान के साथ `**17.53** लाख की राशि का व्ययवर्तन किया गया था।

उपरोक्त को इंगित किए जाने पर, खंड द्वारा बताया गया कि एमओयू के आधार टीएचडीसी को भुगतान किया गया था। विभागीय भू-वैज्ञानिक के सेवा नहीं प्राप्त किए जाने पर खंड द्वारा यह बताया गया कि विभाग में भू-वैज्ञानिक की संख्या काफी कम है और इस कार्य में प्रयुक्त होने वाली टेस्टिंग उपकरण विभाग में उपलब्ध नहीं है।

खंड का उत्तर किसी भी बिन्दु पर मान्य नहीं है क्योंकि खंड के द्वारा ही यह उल्लेख किया गया है कि टीएचडीसी द्वारा किया गया कार्य केवल **concept report** है और इससे कुछ भी प्राप्त

नहीं हुआ है। पुनः तीन मद पर ही किए गए कार्य का भुगतान किया जाना चाहिए था। खंड द्वारा ना ही `**17.53** लाख की राशि के व्ययवर्तन पर कोई उत्तर दिया गया और ना ही कितनी राशि का भुगतान टीएचडीसी को किया जाना चाहिए था।

भाग दो ब

प्रस्तर 3 रुपए 55.18 लाख का दायित्व सृजित किया जाना ।

वित्तीय हस्त पुस्तिका वॉल्यूम- 06 के पैराग्राफ 580 के अनुसार निर्माण कार्यों हेतु ग्राहक विभाग से प्राप्त निक्षेप धनराशि से अधिक व्यय कदापि नहीं किया जाना चाहिए एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका वॉल्यूम- 06 के पैराग्राफ 658 के अनुसार ग्राहक विभाग के सक्षम अधिकारी के प्राधिकार के बिना किए जाने वाले कार्य के आगणन से इतर कार्य नहीं किया जाना चाहिए। व्यय की गई अधिक राशि को विविध अग्रिम पंजिका में वसूली हेतु दर्ज किया जाना चाहिए।

अधिशासी अभियन्ता प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून के अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि खंड द्वारा निक्षेप निर्माण कार्यों हेतु प्राप्त धनराशि से ` -5518266.85 अधिक व्यय किया गया था, विवरण निम्नवत है।

क्रम संख्या	माह	मद नाम	धनराशि `
1	07/09	जेएनएनयूआरएम	-1737906.00
2	3/86	उप निदेशक	-120905.85
3	8/2000	साइट एकोमोडेशन	-3659455.00
			-5518266.85

लेखा परीक्षा द्वारा निक्षेप निर्माण कार्य पर अधिक व्यय किए जाने के औचित्य से अवगत करने के संदर्भ में खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त धनराशि प्राप्त करने हेतु संबन्धित से पत्राचार किया जा रहा है खण्ड का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त धनराशियाँ विगत कई वर्षो से असमायोजित पड़ी है।

खण्ड द्वारा पूर्व में वित्तीय नियमो के विपरीत प्राप्त निक्षेप धनराशि से अधिक व्यय किया गया एवं अब पत्राचार के माध्यम से धनराशि समायोजन किए जाने का प्रयास किया जा रहा है अतः ` 55.18 लाख के दायित्व सृजन का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग दो ब

प्रस्तर-4 रोड कटिंग के रूप में प्राप्त धनराशि को राजस्व में जमा न किया जाना रुपए-479.68 लाख ।

वित्तीय हस्त पुस्तिका (यूपी) के वॉल्यूम-6 के भाग -1 के प्रस्तर 21 एवं उत्तराखंड बजट मेनुयल के प्रस्तर 81 व 82(iii) के अनुसार विभागीय अधिकारियो का यह दायित्व है कि खण्ड को प्राप्त होने वाली राजस्व प्राप्तियों को सही प्रकार प्राप्त कर बिना देरी के उनको सही शीर्ष में सही प्रकार से क्रेडिट किया जा रहा है अथवा नहीं एवं राजस्व प्राप्तियों को शासन की स्वीकृति के बिना विभागीय प्रयोग में नहीं लाया जाना चाहिये।

अधिशासी अभियन्ता प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून की निक्षेप पंजिका की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि 10/2017 से रोड कटिंग चार्ज के रूप में प्राप्त रुपए 47968383 की धनराशि को(विवरण संलग्न है) राजस्व शीर्ष 0059 Public works में जमा न कर अनियमित रूप से 8443 सिविल जमा भाग -3 में रखा गया है लेखा परीक्षा द्वारा इस और इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि सुरक्षित यातायात हेतु सड़क का ठीक किया जाना आवश्यक हो जाता है मार्ग के रखरखाव मद में पर्याप्त आवंटन न होने के कारण रोड कटिंग मद में प्राप्त धनराशि का इन क्षतिग्रस्त मार्गों कि मरम्मत में व्यय किया जाना किया जाना आवश्यक हो जाता है ।

खण्ड का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि वित्तीय नियम के अनुसार राजस्व के रूप में प्राप्त हुई धनराशि को विभागीय राजस्व में जमा किया जाना चाहिए अतः वित्तीय नियमो के विपरीत राजस्व की धनराशि को अनियमित व्ययकिए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष	अनिस्तारित प्रस्तर	
		भाग–दो 'अ'	भाग–दो 'ब'
1	1998	9	16
2	44/2002-03	1,6	3,4,6,7,8,9,10
3	24/2003-04	1,2	2,3,4,5,6
4	35/2004-05	1	1,2
5	73/2005-06	-	1
6	41/2006-07	1,2	1
7	43/2007-08	1,2	1
8	01/2009-10	1,2,3	1
9	41/2010-11	1,2,3	-
10	47/2011-12	1	1
11	51/2012-13	1	1,2
12	55/2013-14	1,2	1,2
13	21/2014-15	1	2,3,4,5
14	42/2015-16	1	1,2,3,4
15	38/2016-17	1	1,2,3

16	25/2017-18	1	1,2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
		निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है	अनिस्तारित प्रस्तर निस्तारण हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये	

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग देहरादून,** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओ द्वारा खण्ड का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री अनिरुध्द सिंह भण्डारी	अधिशासी अभियन्ता	11.4.17-15.7.18
2.	श्री जगमोहन सिंह चौहान	अधिशासी अभियन्ता	15.7.18-वर्तमान तक

विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

श्री राकेश कुमार रस्तोगी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग देहरादून,** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड,कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑफिस-कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक क्षेत्र-2